न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – महीपाल सिंह , आर.ए.एस.
मुकदमा नंबरः– 117/2021 वाद पत्र

अनवान

कमला पत्नी हीरालाल गुर्जर आयु व्यस्क निवासी कांगसों का बाड़िया तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा – वादी

बनाम

1. ईश्वर लाल पुत्र सरीराम गुर्जर आयु व्यस्क निवासी कांगसों का बाड़िया तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. गीता पुत्री सरीराम गुर्जर आयु व्यस्क निवासी कांगसों का बाड़िया तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. छगु देवी पुत्री सरीराम गुर्जर आयु व्यस्क निवासी कांगसों का बाड़िया तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. भैरूलाल पुत्र सरीराम गुर्जर आयु व्यस्क निवासी कांगसों का बाड़िया तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. हीरादेवी पत्नी सरीराम गुर्जर आयु व्यस्क निवासी कांगसों का बाड़िया तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. श्री कमलेश मेहता — अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार

वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89, एवं 92(ए) राज0 काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक 19.04.2022

वादीया ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि सरहद कांगसों का बाड़िया पटवार हल्का गोरधनपुरा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 173 में अंकित आराजी नं0 1394/1130 रकबा 1.2646 हैक्टयर भूमि जमाबंदी सवंत 2073 से 2076 अनुसार वादीया संख्या 01 के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिसे वादीया ने आवंटी गिरधारी पुत्र प्रताप गुर्जर से क्रय की तथ वक्त क्रय कुल रकबा 05 बीघा था तथा वादीया क्रय दिनांक से उसी अनुसार काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रही है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा नक्शें में की गई तरमीम अनुसार उक्त 05 बीघा भूमि के बजाय 02–06 बीघा ही आती है शेष भूमि आराजी नंबर 1394/1130 के सटमा प्रतिवादीगण की आराजी नंबर 1410/1130 रकबा 02–10 बीघा 1331/1136 रकबा 0.3794 हैक्टयर के नक्शें में समाहित होने से प्रतिवादीगण को कई मर्तबा रकबे अनुसार तरमीम कराने हेतु बोला गया परन्तु प्रतिवादीगण तैयार नहीं हुए। अतः यह वाद पत्र प्रस्तुत कर विधिवत वादीया एवं प्रतिवादीगणों के खाते में दर्ज रकबे अनुसार नक्शें में तरमीम कराने की इस्तदुआ की।

वादीया का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किए गए। प्रतिवादीगण उपस्थित हुए । प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 ने जवाब प्रस्तुत किया कि उनकी खातेदारी आराजी 1410/1130 रकवा 02–10 बीघा भूमि से यदि नक्शे में अधिक हो तो अधिक भूमि को वादीया के आराजी नंबर 1394/1130 में तरमीम की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है इसके समर्थन में प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण में अधिवक्ता वादीया ने मौका कमिश्नर नियुक्त कराने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

ना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक, चिताम्बा से वादीया एवं प्रतिवादीगण की विवादित राजी संख्या 1394/1130, 1410/1130, 1331/1136 की मौका रिपोर्ट मंगवाई की।

अधिवक्ता वादीया नें प्रतिवादीगण के जवाब मय शपथ पत्र तथा मौका रिपोर्ट के तथ्यों अनुसार वादी प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज आराजियात के रकबे अनुसार नक्शें में तरमीम किये जाने का निवेदन किया।

मैने पत्रावली, उस पर उपलब्ध दस्तावेज, प्रतिवादीगण 01 लगायत 05 के जवाब मय शपथ पत्र तथा -अभिलेख निरीक्षक चिताम्बा के मौका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादीगण 01 लगायत 05 की खातेदारी आराजी ख्या 1410/1130 में 18 बिस्वा भूमि तथा बिलानाम आराजी संख्या 1331/1336 में 10 बिस्वा भूमि दर्ज रकबे अधिक होने से वादीया का वाद स्वीकार किया जाता है। अतएव

:: आदेश ::

वादीया का वादपत्र स्वीकार किया जाकर बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 को रहद कांगसों का बाड़िया पटवार हल्का गोरधनपुरा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी नं0 1410/1130, 331/1136 में दर्ज रकबे से अधिक रकबे को कमिश्नर रिपोर्ट के नक्शें अनुसार वादीया के आराजी नंबर 394/1130 के नक्शें में तरमीम की जावे। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा परन्तु उक्त आराजी में से गुजर रहे ार्वजनिक रास्ते आराजी नंबर 1395/1130 की तरमीम को यथावत एवं निर्बाध रखा जावें। तदनुसार डिकी ारी हो। फरिकेन खर्चा अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 19.04.2022 को में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39:38 IST
Reason: SelfAttested

यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

ासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

कदमा नम्बर 117/2021 राजस्व वाद

दपत्र अन्तर्गत धारा– 53, 88, 89, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

मला पत्नी हीरालाल गुर्जर आयु व्यस्क निवासी कांगसों का बाड़िया तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा – वादी

बनाम

1. ईश्वर लाल पुत्र सरीराम गुर्जर आयु व्यस्क निवासी कांगसों का बाड़िया तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
2. गीता पुत्री सरीराम गुर्जर आयु व्यस्क निवासी कांगसों का बाड़िया तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
3. छगु देवी पुत्री सरीराम गुर्जर आयु व्यस्क निवासी कांगसों का बाड़िया तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
4. भैरूलाल पुत्र सरीराम गुर्जर आयु व्यस्क निवासी कांगसों का बाड़िया तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. हीरादेवी पत्नी सरीराम गुर्जर आयु व्यस्क निवासी कांगसों का बाड़िया तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

– प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री कमलेश मेहता , एडवोकेट और प्रतिवादी पेरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस द के आज दिनांक 19.04.2022 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया ाता है कि और डिकी की जाती है कि शून्य और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज रीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जायें।

वादीया का वादपत्र स्वीकार किया जाकर बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 को रहद कांगसों का बाड़िया पटवार हल्का गोरधनपुरा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी नं0 1410/1130, 331/1136 में दर्ज रकबे से अधिक रकबे को कमिश्नर रिपोर्ट के नक्शें अनुसार वादीया के आराजी नंबर 394/1130 के नक्शें में तरमीम की जावे। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा परन्तु उक्त आराजी में से गुजर रहे ार्वजनिक रास्ते आराजी नंबर 1395/1130 की तरमीम को यथावत एवं निर्बाध रखा जावें।

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा
(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 19.04.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:39:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
क[illegible] जिला भीलवाड़ा